

22/9/23

वकील जग्गी उपस्थित / पत्रावली का अवलोकन किया गया। यह मुन्तकिली जग्गीना पत्र पीठासीन अधिकारी श्री देवेन्द्र परमार SDJM भरतपुर के बिकट पेश किया गया था। चूंकि श्री देवेन्द्र परमार को स्वतन्त्रता/पदस्थापन SDJM भरतपुर के पद से अन्याय हो गया है इस कारण मुन्त. प्रा. पत्र उभावहीन हो जाता है।

अतः प्रा. पत्र उभावहीन होने के कारण इसी स्तर पर श्वारेज किया जाता है पत्रावली फैसल अनुसार ही बाद कार्यवाही दारिक्त दफतर हो।

ज्ज
जिला कलक्टर
भरतपुर